निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1932 (श0)

(सं0 पटना 746) पटना, मंगलवार, 9 नवम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

13 अक्तूबर 2010

सं0 निग/सारा–1–एन॰एच॰–67/07–14615 (S)—श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ (दिनांक 30 जुलाई 2010 को सेवा निवृत्त) द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल में कारी कोशी धार पर अवस्थित पुल पर टॉल टैक्स वसूली में बरती गई अनियमितताओं के लिए अधिसूचना सं0–7741 (एस) दिनांक 28 जून 2007 द्वारा इन्हें निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–15020 (एस) दिनांक 28 दिसम्बर 2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही, इनके द्वारा आपराधिक कृत्य को अंजाम देने के परिपेक्ष्य में इनके विरूद्ध खजाँची हाट थाना कांड सं0–205/07 भी दर्ज है।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक 28 जुलाई 2008 में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को अंशतः प्रमाणित पाया गया एवं तद्नुसार विभागीय समीक्षा के उपरांत विभागीय पत्रांक–14907(एस) दिनांक 21 नवम्बर 2008 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा माँगी गई। इनसे प्राप्त द्वितीय पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1029, दिनांक 30 जुलाई 2009 द्वारा प्राप्त सहमति के आलोक में प्रमाणित आरोप के संदर्भ में अधिसूचना सं0–8813(एस), दिनांक 14 अगस्त 2009 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देने का दंड संसूचित किया गया।

3. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा दिनांक 27 अगस्त 2009 को पुनर्विचार आवेदन विभाग में समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरांत पाया गया कि पुनर्विचार आवेदन में इन्होंने ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया है जो इनके विरूद्ध लगाये गये प्रमाणित आरोपों के अनुपात में सुविचारित प्रदत्त शास्ति (जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है) की क्षान्ति के लिए प्रासंगिक हो। इस प्रकार इनका पुनर्विचार आवेदन भी अधिसूचना सं0–213(एस) दिनांक 06 जनवरी 2010 द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में श्री कुमार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2009 को निरस्त करने हेतु दायर सी॰डब्ल्यू॰ जे॰सी॰ सं0–16474/09 में दिनांक 12 जनवरी 2010 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0–3059(एस) दिनांक 04 मार्च 2010 द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि वांछित कार्रवाई की जा चुकी है। अतएव इस प्रकरण को बंद किया जाता है।

5. श्री कुमार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2009 एवं दिनांक 06 जनवरी 2010 को निरस्त करने हेतु दायर सी॰डब्ल्यू॰ जे॰सी॰ सं0–1881/2010 में दिनांक 12 अगस्त 2010 को पारित न्यायादेश द्वारा उक्त दोनों अधिसूचनाओं को "set aside" किया गया है। तद्आलोक में विधि विभाग, बिहार से एल॰ पी॰ ए॰ दायर के निमित्त

परामर्श लिया गया। किन्तु एल॰पी॰ए॰ में सफल होने की संभावना कम होने के परामर्श के आलोक में समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(क) विभागीय अधिसूचना सं0–8813(एस), दिनांक 14 अगस्त 2009 द्वारा निर्गत दंडादेश एवं पुनर्विलोकन आवेदन संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0–213(एस) दिनांक 06 जनवरी 2010 को निरस्त किया जाता है।

(ख) उक्त आदेशों के निरस्त होने के फलस्वरूप; परिणामी एवं आनुषंगिक कार्रवाई सम्बन्धित स्थापना / प्रशाखा द्वारा उल्लिखित न्यायादेश के अनुरूप की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 746-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in